न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, गया।

आदेश

गया जिले के अंतर्गत सुबह और शाम के समय कम तापमान रहने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक 203/विधि, दिनांक 12.01.24 द्वारा गया जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग – 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 16.01.2024 तक प्रतिबंध लगाया गया था। वर्तमान में गया जिले में शीतलहर जारी है एवं आगे भी जारी रहने की संभावना है।

अतः मैं, डॉ० त्यागराजन एस० एम०, जिला दण्डाधिकारी, गया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा – 144 के तहत गया जिला के सभी सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित)/निजी विद्यालयों/निजी कोचिंग संस्थानों में वर्ग – 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 19.01.2024 तक प्रतिबंध विस्तारित करता हूँ।

वर्ग – 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व के आदेश के अनुरुप पूर्वाह्न 10:45 बजे से अपराह्न 03:00 बजे के बीच पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 17.01.2024 से लागू होगा एवं दिनांक 19.01.2024 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 16.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह०/–
(डॉ० त्यागराजन एस० एम०)
जिला दण्डाधिकारी
गया।

ज्ञापांक 241/विधि, गया, दिनांक 16.01.24

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नगर पुलिस अधीक्षक, गया /अपर पुलिस अधीक्षक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, गया/निदेशक, डी०आर०डी०ए०/नगर आयुक्त, गया नगर निगम, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सिविल सर्जन, गया/अधीक्षक, ए०एन०एम०एम०सी०एच०, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गया जिला/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गया जिला/पुलिस उपाधीक्षक, नगर, गया/पुलिस उपाधीक्षक, यातायात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई०सी०डी०एस०), गया/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गया/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गया जिला/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गया जिला/सभी थानाध्यक्ष, गया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
गया।

Scanned with OKEN Scanner